न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 26/2021

रामचन्द्र पुत्र बालदास स्वामी, निवासी बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 16/2019 निर्णय दिनांक 18.07.2019

उपस्थितिः—

1 श्री मो. रफीक, एडवोकेट ———— ———— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट ————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 24.11.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामचन्द्र मु0नं0 16/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने पटवार हल्का बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 815 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह भूमि में 0.08 हैक्टर भूमि पर मकान व बाड़ बनाकर अतिक्रमण करना मानकर बेदखली के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 22.03.2019 व 12.04.2019 में यह कहीं भी अंकित नही किया है कि अपीलान्ट ने कब भूमि पर अतिक्रमण किया है। अदालत मातहत ने महज पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

घोषित किया है। पटवार हल्का ने मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नही की है और ना ही मौके का नक्शा तैयार कर अदालत के समक्ष पेश किया है। विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जे की भूमि है जो अपीलान्ट ने दिनांक 02.04.2010 को जरिये इकरारनामा जगदीश खटीक पुत्र टोरूराम से 2,20,000/– रूपये में क्रय किया था। जिसके बाद से अपीलान्ट अपने क्रयशुदा भूखण्ड पर आबाद है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिजली व पानी बतौर साक्ष्य पेश किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.07.2019 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 18.07.2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने पटवार हल्का बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 815 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह भूमि में 0.08 हैक्टर भूमि पर मकान व बाड़ बनाकर अतिक्रमण करना मानकर बेदखली के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 22.03.2019 व 12.04.2019 में यह कहीं भी अंकित नही किया है कि अपीलान्ट ने किस भूमि पर अतिक्रमण किया है। अदालत मातहत ने महज पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया है। पटवार हल्का ने मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नही की है और ना ही मौके का नक्शा तैयार कर अदालत के समक्ष पेश किया है। विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जे की भूमि है जो अपीलान्ट ने दिनांक 02.04.2010 को जरिये इकरारनामा जगदीश खटीक पुत्र टोरूराम से 2,20,000/– रूपये में क्रय किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

जिसके बाद से अपीलान्ट अपने क्रयशुदा भूखण्ड पर आबाद है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिजली व पानी बतौर साक्ष्य पेश किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.07.2019 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 18.07.2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 815 कुल रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै.मु. चारागाह के रकबा 0.08 हैक्टर पर मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील के उपरांत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। अतिक्रमित भूमि गै0मु0 चारागाह होने से नियमन योग्य नहीं है। जहां तक विविदित भूमि को अपीलांट द्वारा क्रय किये जाने का प्रश्न है, राजकीय गैर मु0 चारागाह की भूमि को किसी अन्य पक्षकार को विक्रय किये जाने के कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2019 उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र मु0नं0 19/2019 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.26 12:00:41 IST
Reason: SelfAttested